न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 529/16
निर्णय दिनांकः 22.06.2018

1. चन्दालाल पुत्र पोखर जाति जाट नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादी

बनाम

1. श्रीमती लालीदेवी पुत्री पोखर पत्नि गोपाल नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 गंगाती तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर
2. संजनादेवी पुत्री पोखर पत्नि हरिनारायण नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 गंगाती तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर
3. कानीदेवी पुत्री पोखर पत्नि झूंथाराम नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 मातेड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
4. जमनादेवी पुत्री पोखर पत्नि पप्पू नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा हाल नि0 मातेड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
5. गोपाल पुत्र पोखर नि0 हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खं0नं0 122/4 रकबा 8 बीघा वाकै ग्राम हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पिताजी को ग्राम हरिपुरा में पोखर पुत्र भूरा उर्फ भींवा के नाम से जाना जाता था जिनका राजस्व रिकोर्ड में पोखर पुत्र भूरा के स्थान पर सहवन से पोखर पुत्र भींवा दर्ज हो गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 जो वर्तमान में उक्त खातेदारी के 1/5–1/5 बराबर बराबर खातेदार काश्तकार है जिनके पिताजी के नाम दर्ज कब्जे काश्त की भूमि खं0नं0 122/4 ग्राम हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जिसको उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जाता है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 उक्त आराजी भूमि पर संयुक्त रूप से अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् कृषि कार्य कर बिना किसी व्यवधान के कृषि उपज प्राप्त कर रहे है तथा समस्त प्रकार की खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पिताजी श्री पोखर पुत्र भूरा उर्फ भींवा का स्वर्गवास दिनांक 23.02.15 को हो गया जिनके स्वर्गवास के उपरान्त वादी ने अपने पिता के फौत होने पर खातेदारी नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी तहसीलदार से नामान्तकरण खुलवानें का प्रा0पत्र पेश किया जिसमें पटवारी तहसीलदार ने वादी व प्रतिवादीगण के पिता पोखर पुत्र भूरा के नाम दर्ज अन्य खातेदारियों का तो नामान्तकरण खोलने से स्पष्ट मना कर दिया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 ने हल्का पटवारी व प्रतिवादी सं0 6 द्वारा प्रथम केम्प शार्दुलपुरा में अपनी फौती नामान्तकरण वारिसान के हक में खोलने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 6 ने

अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

बताया कि आपका उक्त खं0नं0 122/4 की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण मैं नहीं खोल सकता क्योकिं आपके अन्य खातेदारी भूमि में आपके पिता का नाम पोखर पुत्र भूरा है जबकि आपकी उक्त विवादग्रस्त खं0नं0 122/4 में नाम पोखर पुत्र भींवा है जो गलत दर्ज है इसलिए आप कोर्ट मे कार्यवाही कर उक्त नाम को दुरूस्त करवा लेवे इसलिए वादी को उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 की ओर से वकील श्री शंकरलाल काजला ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश हुआ तथा प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तनकीयात कायम की गयी। वकील वादी ने स्वंय वादी, प्रेमचन्द, बालूराम के शपथ पत्र पेश किये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र शार्दुलपुरा में पेश हुयी। मजमेंआम शार्दुलपुरा केम्प में उपस्थितान से ली गई पटवारी एवं सरंपच ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा का प्रमाण पत्र दिनांक 14.10.16 एवं 22.06.18 अनुसार स्पष्ट होता है कि पोखर पुत्र भूरा एवं पोखर पुत्र भींवा एक ही व्यक्ति है तथा विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 23.06.58 को पोखर पुत्र भींवा के नाम से होकर नामान्तकरण सं0 29 द्वारा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ है तद्परान्त तहसीलदार फुलेरा द्वारा नियमानुसार खातेदारी दर्ज रिकोर्ड की गई है तथा पोखर पुत्र भींवा का नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना साबित करता है कि आवंटन के समय आवेदन पत्र में पोखर पुत्र भींवा बोलचाल के अनुसार दर्ज किया गया तथा वर्तमान में विवादित भूमि पर पोखर पुत्र भूरा के वारिसान ही काबिज काश्त कर रहे है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर पोखर पुत्र भींवा बोलचाल के नाम से जाना जाता था। पक्षकारान ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 122/4 रकबा 8 बीघा वाकै ग्राम हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में पोखर पुत्र भींवा के स्थान पर पोखर पुत्र भूरा दुरूस्त कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी साँभर लेक मुकाम साँभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

चन्दालाल बनाम लालीदेवी वगै0

दावा बाबत घोषणा व जुरूरती इन्साज

मुकदमा नंबर 529/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गोपीचन्द कुमावत व हाजरी श्री शंकरलाल काजला मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षाकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 122/4 रकबा 8 बीघा वाकै ग्राम हरिपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में पोखर पुत्र भींवा के स्थान पर पोखर पुत्र भूरा दुरूस्त कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत्..

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत.....
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner